

2025/654

मिर्जापूर  
16.3.2026

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
औकारसिंह बनाम कुशल सिंह आदि  
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 454 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
12.08.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 11.09.2025 को पेश हो।	
11.9.2025	<p>कुशाए फरिदें उपस्थित/PU माह 7 अमरुत</p> <p>पत्रावली 7</p> <p>दिनांक 19/11-2025</p>	
19.11.25	<p>कुशाए फरिदें उपस्थित/PU माह 7 अमरुत</p> <p>पत्रावली 7</p> <p>दिनांक 11/12-2025</p>	
11/12-2025	<p>वादी संत का नाम पत्रावली</p> <p>दिनांक 16/12-2025</p>	
26.12.2025	<p>कुशाए फरिदें उपस्थित/PU माह 7 अमरुत</p> <p>पत्रावली 7</p> <p>दिनांक 27.12.2025</p>	
27/12/2025	<p>वकील वादी उपस्थित/प्रतिवादी छं। लकडु विधिगत रजिस्टर्ड सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं इसलिये प्रतिवादी छं। के खिलाफ कार्रवाई एकतफा अमल में ली जाती है। पत्रावली वास्ते जकार हेट आईडा नर 16/3/2026 को पेश हो।</p>	
16/3/2026	<p>कुशाए फरिदें उपस्थित/जकार हेट उत्तर हुआ वादी लाल कलना नहीं चाहते कुशाए फरिदें की कटफ हुनी गई। पत्रावली का दिवालोकर</p>	

19/3/26

